हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।

संख्याः स्वास्थ्य–ए–एच(1)–1/2013–वॉल्यूम–1 तारीखः शिमला–171002 30 अगस्त, 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनो उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन नियम, 2018 हैं ।

(2) ये नियम इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाए .–(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 17) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(2) शब्दों और पदो के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया :–

(1) कोई व्यक्ति, जो सिगरेटों/बीड़ियों और अन्य तम्बाकू उत्पादों का खुदरा कारबार कर रहा है या करने का आशय रखता है, तो वह 500/– रूपए (पांच सौ रूपए) की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने पर प्ररूप–1 (अनुबन्ध–क) में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्ररूप–2 (अनुबन्ध–ख) में अभिस्वीकृति रसीद देगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के छः मास के भीतर आवेदक को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्ररूप–3 (अनुबन्ध–ग) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा, ऐसा न होने पर यह जारी किया गया समझा जाएगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीकरण:–(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, तीन वर्ष के अवसान से पूर्व, 300/– रूपए (तीन सौ रूपए) की नवीकरण फीस के संदाय पर तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(2) यदि आवेदक तीन वर्ष के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो नवीकरण फीस के अतिरिक्त प्रतिमास 200/– रूपए (दो सौ रूपए) की विलम्ब फीस प्रभारित की जाएगी ।

(3) यदि मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र गुम हो जाता है, तो 100/– रूपए (एक सौ रूपए) के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी ।

5. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया:– (1) प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

(2) चालान, यथास्थिति, सम्बद्ध क्षेत्र के उप–मण्डल मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

आदेश द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या तारीखः शिमला–2, 30 अगस्त, 2018

1. वरिष्ठ महा–लेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला–1
4. सचिव (सामान्य प्रशासनिक विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. महा–निदेशक पुलिस, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
6. निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
7. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग सेवाएं, शिमला–9
8. निदेशक, दंत स्वास्थ्य विभाग सेवाएं, शिमला–9
9. निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एंव विनियम, शिमला–2
10. समस्त उपायुक्त,, हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. औषधी नियन्त्रक, मुख्यालय बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक अधिक्षक, हिमाचल प्रदेश।
14. अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य–ए और स्वास्थ्य–बी।
15. गार्ड फाइल ।

(कैलाश चन्द गौड़)
संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(अनुबन्ध–क)

प्ररूप–1

{ नियम 3 (1) देखें}

किसी तम्बाकू उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररुप

1. स्थापन का नाम–___
2. पता :

   गांव/नगर/शहर:___ खण्ड :___ जिला :___

   राज्य :___ पिन कोड :___ दूरभाष नम्बर:___ (एस0टी0डी0 कोड सहित)

   मोबाईल :___ ई–मेल आई0डी0:___
3. स्वामी का नाम :___
4. पता :

   गांव/नगर/शहर:___ खण्ड :___ जिला :___

   राज्य :___ पिन कोड :___ दूरभाष नम्बर:___ (एस0टी0डी0 कोड सहित)

   मोबाईल :___ ई.मेल.आइ.डी.:___
5. जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है

   नया रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण

   यदि नवीकरण के लिए है, तो कृपया पूर्वत्तर रजिस्ट्रीकरण संख्या/वर्ष विनिर्दिष्ट करें ।
6. रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के लिए विकल्प

   डिमांड ड्राफट पोस्टल आर्डर नकद

   कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

   रकम (रुपए में)______________

   ब्यौरे______________

   प्राप्ति संख्या______________

मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है । मैं हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 और तद्धीन बनाए गए नियमों के समस उपबन्धों का अनुपालन करुंगा।

मैं, सिगरेट और अन्य तंम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के समस्त उपबंधों की भी अनुपालना करुंगा ।

मैं उपर दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के संसूचित करुंगा।

स्वामी / प्रभारी–व्यक्ति के हस्तांक्षर

(नाम____________________)

स्थानः____________

तरीखः____________

(अनुबन्ध–ख)

प्ररूप–2

{ नियम 3 (2) देखें}

किसी तम्बाकू उत्पाद के नए रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अभिस्वीकृति.

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 के अधीन ....(स्वामी का नाम और पता) नए रजिस्ट्रीकरण द्वारा / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु प्ररुप–1 में प्रस्तुत किया गया आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा _____ _____ (तारीख/मास/वर्ष) को प्राप्त किया गया है और उसे पूर्ण या अधूरा पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में प्राधिकृत के हस्ताक्षर ।

जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदनाम

मोहर

स्थानः____________

तरीखः____________

(अनुबन्ध—ग)

प्ररूप—3

{ नियम 3 (3) देखें}

<u>किसी तम्बाकू उत्पाद के नए रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण</u>

रजिस्ट्रीकरण संख्या / वर्ष

जारी करने की तारीख________

विधिमान्यता______________

1. स्थापन का नाम..

2. पता ....

3. ....स्थापना के स्वामी......................का हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 और तद्धीन बनाए नियमों के उपबन्धों के अर्न्तगत एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है / रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जाता है ।

जारीकर्ता प्राधीकारी का नाम व पदनाम

तारीख व समय

शिकायतों के मामले में दूरभाष नम्बर